



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052022-236037
CG-DL-E-26052022-236037

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2269]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2022/ज्येष्ठ 5, 1944

No. 2269]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2022/JYAISHTHA 5, 1944

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

का.आ. 2390(अ).—राष्ट्रपति, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चन्द्र घोष, अध्यक्ष, लोकपाल का कार्यकाल समाप्त होने के परिणामस्वरूप हुई रिक्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 28 मई, 2022 से अध्यक्ष, लोकपाल की नियुक्ति होने तक, न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार मोहन्ती, सदस्य (न्यायिक), लोकपाल को अध्यक्ष, लोकपाल के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[फा. सं. 407/21/2022-एवीडी-IV(एलपी)]

राहुल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2022

S.O. 2390(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the President is pleased to authorize Shri Justice Pradip Kumar Mohanty, Member (Judicial), Lokpal, to act as the Chairperson, Lokpal, in the vacancy caused due to completion of the tenure of Shri Justice Pinaki Chandra Ghose, Chairperson, Lokpal, with effect from the date of occurrence of vacancy i.e. 28th day of May, 2022, until appointment of the Chairperson, Lokpal.

[F. No. 407/21/2022-AVD-IV(LP)]

RAHUL SINGH, Jt. Secy.